UPSB010046892025

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, (एफ0टी0सी0) (सी0ए0डब्लू0) सोनभद्र

पीठासीन अधिकारी–**विपिन कुमार–III** (उच्चतर न्यायिक सेवा) UP-6486

द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1010 / 2026

इरफान अहमद पुत्र इस्माईल उर्फ दरोगा, निवासी ग्राम बरवन, थाना राबर्टसगंज जनपद सोनभद्र

...आवेदक / अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मुकदमा अपराध संख्या–1053 / 2025,
धारा–**69, 351(3), 352** भारतीय न्याय संहिता
व धारा–**67** सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम
थाना–राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।

01.06.2026:–

1. आवेदक / अभियुक्त **इरफान अहमद** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–1053 / 2025, अन्तर्गत धारा–69, 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा–67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, थाना राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र के मामले में द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रस्तुत द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र के आदेश दिनांकित 26.05.2026 के द्वारा निस्तारण हेतु इस न्यायालय में अन्तरित किया गया है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा / पीड़िता पुत्री वाहिद, निवासी ग्राम तकिया, थाना राबर्ट्सगंज जिला सोनभद्र ने दिनांक 09.10.2025 को पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह कथन किया है कि इरफान सिद्दीकी गॉव में रिश्तेदारी होने की वजह से उसके गॉव में आता–जाता है। लगभग दो वर्ष पूर्व इरफान सिद्दीकी ने प्रार्थिनी से शादी करने का प्रस्ताव रखा था शादी का झांसा देकर प्रार्थिनी के साथ कई बार शारीरिक सम्बन्ध बनाया। दिनांक 10.08.2025 को समय करीब 02:00 बजे दोपहर इरफान सिद्दीकी ने प्रार्थिनी को फोन करके राबर्ट्सगंज बुलाया और मोटर साइकिल पर बैठा कर विवेकानन्द प्रेक्षागृह के पास अपने दोस्त के रूप पर ले गया, प्रार्थिनी ने कहा कि यहां क्यों लाये हो तो नाराज होकर धमकी देने लगा कि मैं जो कर रहा हूँ करने दो नहीं तो तुम्हारा चोरी से जो फोटो और वीडियो बनाया है उसे वायरल कर दूँगा तथा जबरदस्ती बलात्कार किया और कहा कि अब तुमसे निकाह नहीं करूँगा और ज्यादा बोलोगी तो तुम्हारी हत्या करवा दूँगा। प्रार्थिनी घटित घटना के बारे में अपनी मॉ से बतायी तब प्रार्थिनी की मॉ ने भाई व पिता जी को घटना के बारे में बताया। प्रार्थिनी के पिता जी ने इरफान सिद्दीकी से बात किया तो उसने अपने रिश्तेदारी सोनवारे में आने को कहा। जब प्रार्थिनी के पिता व भाई ग्राम सोनवारे के प्रधान के घर गये तो वहॉ पर निहालुद्दीन, इरसाद, कल्लू, सहनाज व जैनब मौजूद थे उनसे प्रार्थिनी के पिता ने कहा कि हमारी लड़की और आप के लड़के का प्रेम प्रसंग काफी दिनों से चल रहा है और आप का लड़का उसकी लड़की से निकाह करना चाहता है। इसी बात से नाराज होकर सभी

Digitally signed by VIPIN KUMAR
Date: 2026.06.01 12:37:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Sonbhadra

लोग गाली देते हुये कहने लगे कि तुम्हारी औकात नहीं है हमारे घर रिश्ता जोड़ने की और निकाह नहीं होगा और प्रार्थिनी के भाई व पिता को भगा दिये और कहे कि दोबारा यहाँ आये तो तुम्हारी लड़की व पूरे परिवार की हत्या करवा देंगे, मेरा एक लड़का मिलिट्री में है। दिनांक 13.09.2025 को प्रार्थिनी का अश्लील वीडियो उसकी रिश्तेदारी में भेज दिया और इरफान सिद्दीकी धमकी दे रहा है कि अपने पिता से पाँच लाख रूपये नहीं दिलाओगी तो तुम्हारी वीडियो व फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगा।

4. उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर थाना राबर्टसगंज जिला सोनभद्र में दिनांक 18.10.2025 को मुकदमा अपराध संख्या–1053/2025, अन्तर्गत धारा–69, 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा–67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्तगण इरफान सिद्दीकी, निहालुद्दीन उर्फ बबलू, इरशाद, कल्लू, सहनाज तथा जैकब के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।

5. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि प्रार्थी का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। आवेदक एक शान्तिप्रिय एवं प्रतिष्ठित कृषक है और आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। प्रथम सूचना के तथ्य गलत हैं। पीड़िता ने दिनांक 28.07.2023 को अपने फेसबुक आई0डी0 जो समारवान के नाम से था, आवेदक के आई0डी0 इरफान सिद्दीकी पर मैसेज किया और उसके बाद बराबर फोन करके बात करती थी। वादिनी ने इस्टाग्राम पर इरफान पगलू के नाम से फर्जी आई0डी0 बना कर बराबर अश्लील मैसेज आवेदक के इंस्टाग्राम पर भेजती थी। बात–चीत के दौरान दोनों शादी के लिये सहमत हो गये और दोनों परिवार के लोग शादी के लिये तैयार हो गये। इसी बीच प्रार्थी के परिवार वालों को पता चला कि वादिनी का भाई सुहेद बेग गौ तस्करी करता है और कई बार जेल जा चुका है तथा हत्या का मुल्जिम है तो प्रार्थी के परिवार वाले शादी से इन्कार कर दिये। दिनांक 21.09.2025 को प्रधान इरशाद आलम के घर पंचायत हुई तो प्रार्थी के परिवार वाले शादी से इन्कार कर दिये तब वादिनी और उसके परिवार के लोग धमकी देने लगे कि यदि शादी नहीं होगी तो आवेदक व उसके परिवार के अन्य सदस्यों को बलात्कार के झूठे मुकदमा में फसायेंगे। पंचायत में मौजूद लोग वादिनी वगैरह को समझाये कि बलात्कार के झूठे मुकदमें में न फंसाया जाय तो इसके लिये वादिनी ने एक लाख रूपये की माँग किया लेकिन समझाने के बाद पचास हजार रूपये वादिनी ने लिया और मुकदमा न करने का आश्वासन दिया था। वादिनी ने अपने परिवार के बहकावे में आकर प्रार्थी के विरूद्ध मुकदमा कायम कराया है। आवेदक निर्दोष है। आवेदक को आशंका व विश्वास है कि स्थानीय पुलिस किसी भी समय आवेदक को संज्ञेय व अजमानतीय अपराध के कारण गिरफ्तार कर सकती है जिससे प्रार्थी की अपूर्णनीय क्षति होगी और समाज में प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचीगी। उक्त आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है। आवेदक द्वारा अपने कथनों के समर्थन में फेहरिस्त से प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति, चैट की फोटो कापी, एक अदद फोटो की छाया प्रति तथा पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र को दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांकित 25.09.2025 की छाया प्रति दाखिल किया गया है।

6. अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादिनी/पीड़िता को शादी का झाँसा देकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किया जाता रहा। वादिनी/पीड़िता द्वारा जब शादी करने को कहा गया तो शादी करने से इन्कार कर दिया तथा शारीरिक सम्बन्ध बनाने के दौरान पीड़िता का बनाये गये अश्लील वीडियो को वायर कर दिया गया। आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादिनी व उसके परिवार वालों को जान

से मारने की धमकी भी दी गयी है। अभियुक्त का यह कृत्य एक गंभीर अपराध है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये।

7. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान लोक अभियोजक को सुना गया तथा थाने की आख्या एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 बीएनएसएस में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–183 बीएनएसएस में यह कथन किया है कि "मैं दो साल से इरफान सिद्दिकी के साथ रिलेशनशिप में थी। वह मुझे जहॉ बुलाता था मैं वहॉ चली जाती थी। दिनांक 10.08.2025 को मुझे इरफान अपने दोस्त अजीत पटेल के घर ले गया। अन्दर से कुन्डी बन्द कर दी और मेरे साथ जबरदस्ती किया, जब निकलने लगी तो इरफान कहा कि अगर किसी को बताओगी तुम्हारा फोटो और वीडियो वायरल कर दूँगा। फोटो, वीडियो व्हाट्सएप पर ग्रुप बना कर डाल दिया था। मैंने अपने पापा को सारी बात बतायी तो पापा इरफान के गॉव गये वहॉ प्रधान और सब के सामने समझौता/सुलहनामा की बात कर रहे थे तो पापा का कालर पकड़ कर इरशाद सिद्दिकी ने जान से मारने की धमकी दी थी। इरफान के चाचा कल्लू ने मुझे गाली व धमकी दिया था।" केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित हैं। केस डायरी में अंकित अन्य साक्षियों के बयान से भी अभियोजन कथानक का समर्थन होता है।

9. अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पूर्व में भी निरस्त किया जा चुका है। यह अभियुक्त का द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। पुनः उन्हीं तथ्यों के आधार पर द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिनके आधार पर पूर्व अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जा चुका है। अभियुक्त के व्हाट्स–एप चैट दाखिल किए गए हैं, जिनमें कई मैसेज डिलीट भी किए गए हैं। अभियुक्त द्वारा विवेचना में सहयोग नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप उसके विरुद्ध गैर जमानतीय वारण्ट जारी किया गया है। वाद विवेचक द्वारा प्रथम दृष्टया अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य संकलित किया गया है।

10. अतः अपराध की गम्भीरता एवं मामले की तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत आवेदक/अभियुक्त का द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

–:आदेश:–

अभियुक्त **इरफान अहमद** का द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या–1053/2025, अन्तर्गत धारा–69, 351(3), 352 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा–67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, थाना राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र के मामले में **निरस्त** किया जाता है।

दिनांक–01.06.2026

(विपिन कुमार–III)
अपर सत्र न्यायाधीश,
(एफ0टी0सी0)(सी0ए0डब्ल्यू0)
सोनभद्र
I.D. No.-U.P. 6486